

(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 13th September, 2017

No. S.O. 64/H.A. 11/1994/S. 55/2017.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of Section 55 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the Gram Panchayat Naya Gaon from block Raipur Rani and includes in block Barwala, District Panchkula.

ANURAG RASTOGI,

Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2017

संख्या का0आ0 64/ह0अ011/1994/धा055/2017- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 55 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत नया गांव को खण्ड रायपुररानी से निकालते हैं तथा खण्ड बरवाला, जिला पंचकूला में शामिल करते हैं।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।